ग्रामीण महिला एवं बालोत्थान योजना

सक्रिय महिला समूहों
की
समस्यायें एवं सम्भावनायें

सुनीत सिंह

गोविन्द बल्लभ पन्त सामाजिक विज्ञान संस्थान,
3 यमुना इन्कलेव, संगम नगर, झूसी, इलाहाबाद

अनुक्रमणिका

''ड्वाकरा'' परियोजना : संक्षिप्त परिचय

ग्रामीण महिला एवं वालोत्थान योजना ड्वाकरा एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम के उप कार्यक्रम के रूप में प्रदेश में 1983-84 से कार्यान्वित की जा रही है। वर्तमान में प्रदेश के लगभग सभी जिले इस योजना के अन्तर्गत आच्छादित हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य कमजोर वर्गों की ग्रामीण महिलाओं को स्व-रोजगार सुलभ करवा कर उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलम्वी वनाना, उनके जीवन स्तर में सुधार करना और उनके परिवार के स्वास्थ्य, शिक्षा तथा पोषण में गुणात्मक परिवर्तन लाना है।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम स्तर पर महिला समूहों का चयन किया जाता है। समूहों का गठन और सामूहिक पहचान वनाना योजना का प्रमुख उद्देश्य है। एकता, समानता, सहिष्णुता, निर्भीकता एवं जनतांत्रिक रूप से निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करना योजना के उद्देश्य में अन्तर्निहित है।

समूहों का गठन करने के वाद अतिरिक्त आय के स्रोतों का लाभ देने वाले गृह एवं ग्रामोद्ययोगों में प्रशिक्षण देकर उनके कौशल का विकास किया जाता है। सक्रिय समूहों को केन्द्र, राज्य एवं यूनीसेफ के संयुक्त अंशदान से वने आवृत्ति कोष से कार्यशील पूँजी उपलव्ध करायी जाती है। इसी प्रकार समूहों को कच्चे माल की व्यवस्था तथा उत्पादित वस्तुओं के विपणन में सहयोग देने की व्यवस्था भी कार्यक्रम में सम्मिलित है।

इस प्रकार ग्रामीण महिला एवं वालोत्थान योजना का उद्देश्य आय संवर्द्धन के साथ-साथ जीवन शैली में गुणात्मक परिवर्तन लाना है। यह कार्यक्रम नारी जीवन से जुड़े लगभग सभी पक्षों को प्रभावित करने वाला एक सर्वांगीण कार्यक्रम है।

प्रदेश में इस योजना के लागू हुए लगभग 15 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं ऐसे में यह जाँचा जाना सर्वथा उपयुक्त होगा कि घोषित उद्देश्यों को प्राप्त कर सकने में यह कार्यक्रम किस सीमा तक सफल रहा। हाल ही में थ्रिफट एण्ड क्रेडिट योजना के तहत कार्य करते हुए जनपद इलाहावाद के सक्रिय ड्वाकरा समूहों से ग्राम स्तर पर सम्पर्क करने का अवसर प्राप्त हुआ। इस अवसर का लाभ उठाते हुए सक्रिय समूहों के माध्यम से ड्वाकरा महिला समूहों की समस्याओं तथा उनमें निहित सम्भावनाओं का अध्ययन करने का प्रयास किया गया।

अध्ययन का उद्देश्य एवं क्षेत्र

वर्तमान अध्ययन को समूह के अथवा सम्वन्धित कर्मचारियों के क्रियाकलापों का मूल्यांकन नहीं माना जाना चाहिए। ग्राम स्तर पर उपरोक्त कार्यक्रम का क्रियान्वयन करते समय समूह की सदस्याओं द्वारा वर्णित सुझावों तथा तथ्यों का संकलन एवं उनका विश्लेषण करना प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य था। इसके अतिरिक्त सुदूर ग्रामीण अंचलों में परम्परा से विकसित हुए तथा विद्यमान कौशल एवं संसाधनों को पहचानने का प्रयास भी अध्ययन का महत्वपूर्ण उद्देश्य था। यह अध्ययन व्यक्तिगत साक्षात्कार तथा अवलोकनों के आधार पर एकत्रित आंकड़ों पर आधारित है। चूँकि अध्ययन की परिधि में केवल सक्रिय समूह ही सम्मिलित हैं इसलिए इसे समग्र कार्यक्रम का प्रतिदर्श नहीं माना जाना चाहिए परन्तु सक्रिय समूहओं की दृष्टि से यह एक पूर्ण अध्ययन है।

इलाहाबाद जनपद में 1986-87 से ड्वाकरा कार्यक्रम लागू है तथा 10 विकासखण्डों में 50 समूह प्रति विकास खण्ड की दर से कुल 501 गठित किए जा चुके हैं। इस प्रकार जनपद में कुल 500 समूह गठित हैं, जिनमें 8000 महिलायें सदस्य हैं। जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, इलाहाबाद की सूचना के आधार पर 3630 सदस्यों के साथ 332 समूह सक्रिय हैं। थ्रिफट एवं क्रेडिट योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण हेतु 100 समूहों से सम्पर्क किया जाना प्रस्तावित था। संस्थान के अध्ययन दल ने विकास खम्ड कार्यालयों के सहयोग से 104 समूहों से सम्पर्क किया। इन 104 में से 13 समूहों ने स्वतः ही स्वीकार किया कि वे निष्क्रिय हैं। इस प्रकार प्रस्तुत अध्ययन वास्तविक रूप से सक्रिय कहे जा सकने वाले 91 समूहों से प्राप्त सूचनाओं पर आधारित है।

अध्ययन में सम्मिलित सक्रिय समूहों के 550 सदस्याओं ने प्रशिक्षण में भाग लिया। इन्हें समूह का सक्रिय सदस्य माना जा सकता है। इस प्रकार सक्रिय कहे जाने वाले समूहों में प्रति समूह सक्रिय सदस्याओं की संख्या 6 के लगभग पायी गयी है।

अध्ययन में सम्मिलित समूहों को दो श्रेणियों में बाँटने का प्रयास किया गया। प्रथम, नियमित रूप से सक्रिय तथा द्वितीय, आंशिक रूप से सक्रिय। नियमित रूप से सक्रिय उन समूहों को माना गया जहाँ वर्ष मं कम से कम 180 दिन व्यवसायिक कार्यकलाप होते पाए गए अन्यथा उन्हें दूसरी श्रेणी में रखा गया। समूहों का वर्गीकरण पर्याप्त उदारता के साथ किया गया। सर्वेक्षण के आधार पर लगभग 30 समूहों को नियमित रूप से सक्रिय समूह की श्रेणी में रखा जा सकता है जबकि शेष 61 समूह आंशिक रूप से सक्रिय हैं। नियमित रूप से सक्रिय समूह कतरन दरी, ऊनी द सूती दरी, रेडीमेड कपड़ों का निर्माण, आसनी, चर्खा, बाध निर्माण, फल संरक्षण, वड़ी, पापड़, चिप्स, नमकीन, मसाला तथा अनाज पैकिंग के कार्यों में संलग्न हैं इसके अतिरिक्त बकरी पालन में संलग्न एक समूह को भी सक्रिय पाया गया। आंशिक रूप से सक्रिय समूह, ऊनी दरी, चर्खा, फल संरक्षण, मसाला, चिप्स-पापड़, टाट-पट्टी, अगरबत्ती, कपड़े का खिलौना तथा मिठाई डिब्बा के निर्माण से सम्बन्धित कार्य कलाप करते पाये गये। उपरोक्त कार्यकलापों के अतिरिक्त स्थानीय स्तर पर मौंकी बनाने, बाँस डलिया बनाने, क्रोशिये तथा घरेलू सजावट के समान बनाने सम्बन्धित कार्यकलाप समूह की महिलाओं में काफी लोकप्रिय पाया गया।

अवलोकनात्मक निष्कर्ष

वर्तमान अध्ययन पाँच शीर्षकों में बाँट कर किया गया है—समूह का गठन, प्रशिक्षण, उत्पादन, विपणन तथा वित्त। इन विषयों पर प्राप्त सूचनाओं के आधार कुछ निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं जो समूहों को सक्रिय बनाने तथा नियमित आय सुनिश्चित करने की दृष्टि से उपयोगी होगें।

समूहों का गठन

समूहों का गठन करते समय संख्या पर ध्यान तो दिया गया परन्तु पात्रता पर विशेष ध्यान नहीं रखा गया। नियमानुसार समूह की सभी सदस्यायें गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के तहत पात्र परिवारों की महिलायें होनी चाहिए। इस तथ्य पर गम्भीरता नहीं बरती गयी। अनेक

स्थानों पर ऐसी महिलायें समूह की सदस्या थीं जिनके पास लघु कृषक से अधिक भूमि थी, पति नौकरियों में या सम्पन्न व्यवसाय में थे। यह सत्य है कि महिला साक्षरता के अत्यन्त निम्न स्तर पर होने के कारण गाँवों में महिला समूह गठित करते समय व्यवहारिक परेशानियाँ आती है परन्तु गरीवी की रेखा के स्थापित मापदण्ड में ढील नहीं देना चाहिए। शासनादेश में यह भी कहा गया है कि यह प्रयास किया जाना चाहिए कि समूह की सभी महिलाओं का सामाजिक एवं आर्थिक स्तर लगभग एक सा हो ताकि समूह में तालमेल वना रहे। सर्वेक्षण में पाया गया कि जहाँ भी इस नियम का पालन नहीं किया गया समूहों का विघटन हो गया है। इस सुझाव को अनदेखा करने के परिणाम स्वरूप सक्रिय दिखायी देने वाले अनेक समूहों में अध्यक्षा या कुछ सदस्याएँ नियोक्ता की स्थिति में हैं तथा शेष सदस्याएँ मजदूरी के आधार पर कार्य करने वाली श्रमिक हो गयी हैं। यह समूह को गठित करने के मूल भावना के ही विपरीत है।

ड्वाकरा आई०आर०डी०पी० की सहयोगी योजना है इसलिए समूह के गठन में ग्राम पंचायतों के सहयोग एवं अनुमोदन का सुझाव दिया गया है। परन्तु यदि ग्राम प्रधान ही गरीवी की रेखा की परिभाषा से अनभिज्ञ है तो उसके द्वारा गरीव परिवारों की सही पहचान हो पाना भी सन्देहास्पद है। सर्वेक्षण के दौरान पाया गया कि कई ग्राम प्रधान इस परिभाषा से अनभिज्ञ हैं परिणामतः महिला का पढ़ी-लिखी होना ही प्रमुख मानकर उसे अध्यक्षा वना दिया गया, उसकी पात्रता अर्थात् गरीवी की रेखा के नीचे के परिवार का होना अनदेखा किया गया। इस तथ्य की जाँच करवा कर महिला समूहों के पुनर्गठन का प्रयास किया जाना चाहिए तथा अध्यक्षाओं का चयन निश्चित रूप से गरीवी रेखा के नीचे वाले परिवार से किया जाना चाहिए।

सक्रिय या आंशिक रूप से सक्रिय महिला समूहों की लगभग सभी अध्यक्षाओं को, समूह के लिए अधिकतम या न्यूनतम् सदस्य संख्या के वारे में नियमानुक्रम जानकारी पायी गयी, परन्तु सदस्यता समाप्ति के नियमों का ज्ञान किसी को नहीं था। लगभग सभी स्थानों पर प्रशिक्षण प्राप्त सदस्यों को हटाकर मनमाने ढंग से नए सदस्यों को समूह में सम्मिलित कर लिया गया। सदस्यता समाप्ति के लिए नियमावली में चार कारणों का स्पष्ट उल्लेख है, जवकि संयोजिकाओं द्वारा सदस्याओं को हटाने के कारणों में मुख्य रूप से सदस्याओं में रुचि का अभाव, दैनिक मजदूरी के प्रति आकर्षण, वांछित कौशल का अभाव, अधिक उम्र हो जाना और मृत्यु आदि को वताया गया।

उपरोक्त कारणों में से मृत्यु को छोड़कर अन्य कोई भी कारण नियमानुकूल नहीं है। प्रायः उपरोक्त वहानों से अत्यन्त गरीव परिवारों की महिलांओं को समूह से हटाकर नये सदस्य रख लिये गये हैं। यह प्रवृत्ति समूह की भावना पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। साथ ही प्रशिक्षण प्राप्त न होने के कारण कई सदस्यायें व्यवसायिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग नहीं ले पातीं जो समूह को कमजोर करता है।

लगभग सभी अध्यक्षाओं ने समूह में 15-20 सदस्यों की पंजीकृत संख्या वताया। परन्तु साथ ही उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि औसतन 5-6 महिलायें ही सक्रिय हैं। अन्य महिलाओं को कैसे सक्रिय वनाया जाए इस वारे में उनके पास कोई उत्तर नहीं मिला। खेती में व्यस्तता के कारण समूह की निष्क्रिय सदस्याओं से सम्पर्क नहीं किया जा सका। समूह की सक्रिय वनाने हेतु उनके दृष्टिकोण को भी देखा जाना जरूरी है।

प्रशिक्षण

संस्थाओं की पहचान — आर्थिक कार्यकलाप का चयन अत्यन्त सावधानी से भली-भाँति परीक्षणोपरान्त किया जाना चहिए। समय-समय पर विभिन्न शासनादेशों में प्रशिक्षण हेतु आर्थिक कार्यकलाप का चयन करते समय स्थानीय स्तर पर के कच्चे माल के स्रोत की उपलब्धता, प्रशिक्षण हेतु वांछित योग्यतायुक्त संस्था की उपलब्धता, उत्पादित वस्तु के लिए स्थायी बाजार की उपलब्धता, जनपद की स्थानीय आवश्यकता की पहचान, डिमांड समूहों की रुचि की पहचान, सेकेन्डरी व टर्सटी सेक्टर से सम्वन्धित कार्यकलापों को प्राथमिकता, मटरीयल एसेट योजनान्तर्गत पशुपालन की सम्भावना, महिलाओं की अवरुद्ध परम्परागत कौशल के व्यावसायिक उपयोग की सम्भावना, चयनित कार्यकलाप आर्थिक रूप से लाभकारी हो तथा उससे नियमित रूप से आय की सम्भावनाओं पर सावधानी पूर्वक विचार करने की चर्चा की गयी है।

सर्वेक्षण के दौरान उपरोक्त विन्दुओं में सर्वाधिक कमजोर पक्ष प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं में चयन का पाया गया। अनेक संस्थाओं ने तो स्थानीय स्तर पर उपलब्ध महिलाओं को नियुक्त कर प्रशिक्षण दिलवा दिया तथा उन्हें प्रशिक्षक के रूप में कार्य करने का मानदेय तक नहीं दिया गया। प्रशिक्षण देने के वाद संस्थाये विलुप्त सी हो गयी जवकि उनसे आशा की जाती थी कि वे फारवर्ड व बैकवर्ड लिंकेज पर व्यवस्था में स्सहयोग करेगी। समूहों को प्रशिक्षण के प्रारंभिक स्तर पर इस प्रकार लापरवाही वरतने के कारण उनमें व्यवसाय हेतु कौशल विकास की भावना अंकुरित ही नहीं हो पाती और परिणामस्वरूप कालान्तर में उन्हें सक्रिय वनाने के सारे प्रयास निस्फल हो जाते हैं। ऐसी संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षण दिलाये जाने के कारण समूह की सदस्याओं के उत्पादन में गुणवत्ता नहीं आ पाती परिणामस्वरूप बाजार प्रतिस्पर्द्धा में वे टिक नहीं पाती और धीरे-धीरे उनका उत्साह समाप्त हो जाता है और वे निष्क्रिय हो जाते हैं या कुछ गिनी चुनी महिलाओं तक सीमित रह जाता है। इसलिए संस्थाओं का चयन करते समय इस वात की पर्याप्त सावधानी वरती जानी चाहिए कि वे प्रतिष्ठित संस्था हो, कौशल प्रशिक्षण के साथ स्वरोजगार हेतु व्यवसाय प्रवंधन की शिक्षा देने की उनमें योग्यता हो, ग्रामीम क्षेत्रों में महिलाओं के रोजगार संवर्द्धन के प्रति उनमें वांछित प्रतिवद्धता हो तथा प्रशिक्षणोपरान्त उनका उपलब्धता सहज हो।

प्रशिक्षणदायी संस्थाओं से पाठ्यक्रम माँगा जाना चाहिए तथा इस वात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि वे कौशल प्रशिक्षण के साथ-साथ महिलाओं को अपने समय की लागत लगाने, आय-व्यय का व्यौरा रखने, विभिन्न स्तरों पर विपणन की तकनीक, विक्रय से प्राप्त लाभों का आंकलन तथा गुणवत्ता एवं प्रमाणीकरण के वारे में भी शिक्षित करे।

अनुश्रवण यदि सावधानीपूर्वक किया जाए तो प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं पर भी दवाव वनता है जो भविष्य में अच्छे परिमाम दे सकता है। निर्देशों में स्पष्ट उल्लेख है कि कौशल प्रशिक्षण अत्यन्त विख्यात संस्थाओं द्वारा ही कराया जाय।

प्रेरणात्मक प्रशिक्षण — कौशल प्रशिक्षण के साथ प्रवाकरा समूहों को प्रेरणात्मक डशिक्षण दिए जाने का भी है। शासनादेशों में समूह संयोजिका स्तर ले लेकर जिला स्तरीय अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए प्रेरणात्मक प्रशिक्षण आयोजित किए जाने का निर्देश दिया गया है। समूहों को सक्रिय वनाने, सक्रिय सदस्यों को और अधिक

सक्रिय वनाने तथा स्थानीय वाजार की आवश्यकता व डिमांड समूहों की रुचि के पहचानने की दिशा में प्रेरणात्मक प्रशिक्षण आत्यन्त उपयोगी होंगे जिसका लाभ प्रवाहित होकर महिला समूहों तक पहुँचेगा। अभी तक इस पक्ष को अनदेखा किया गया है।

कौशल अभिवृद्धि प्रशिक्षण — नियमित रूप से सक्रिय समूहों में लगभग सभी तथा आंशिक रूप से सक्रिय समुहों में लगभग आधे समूहों द्वारा किए जा रहे उत्पादन की गुणवत्ता के स्तर में उल्लेखनीय सुधार लाने की पर्याप्त सम्भावना है। परन्तु इसके लिए उन्हें कौशल अभिवृद्धि प्रशिक्षण दिया जाना जरूरी है। इस दृष्टि से फल संरक्षण पापड - चिप्स एवं नमकीन, कपड़े के खिलौने, अनाज व मसाला पैंकिंग दरी व आसनी निर्माण आदि व्यवसायों को चिन्हित किया गया है। इसके अतिरिक्त भौंकी, वाँस से वने सामान, क्रोशिये के काम तथा अन्य सजावटी समानों के निर्माण के लिए कौशल अभिवद्धि प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए क्योंकि इन व्यवसायों में परम्परागत कौशल स्थानीय स्तर पर पर्याप्त मात्रा में लोक कला के रूप में उपलव्ध है।

उत्पादन

कच्चा माल — अनेक कार्यकलाप ऐसे हैं जिनमें प्रयुक्त होने वाला कच्चा माल स्थानीय स्तर पर उपलव्ध है जैसे — फल संरक्षण, मसाला पिसाई व पैंकिंग, आलू से वने पापड़ चिप्स व नमकीन तथा अनाज की पैकिंग। इन सभी कार्यकलापों का कच्चा माल कृषि आधारित उत्पाद हैं। इनके मूल्यों में उतार-चढ़ाव उत्पादन के परिमाण के साथ होता है जिसकी पूरी जानकारी न तो समूह की सदस्याओं को और न ही उनके परिवारों को हो पाता है। यहाँ सहायक विकास अधिकारी महिला तथा प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। परन्तु संस्थाओं का तो पता ही नहीं था।

ऐसे कार्यकलापों के कच्चे माल के क्रय को उपयुक्त अवसर पर क्रय करने के लिए पूँजी की तत्काल आवश्यकता होती है ताकि कम दार पर अधिक माल खरीद कर मौसम की समाप्ति पर लाभ कमाया जा सके परन्तु Revolving Fund से इस मद में धन निकालने की सूचना समूहों से प्राप्त नहीं हुयी। यहाँ फिर संयोजिका तथा सहायक विकास अधिकारी को प्रेरणात्मक प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

कृषि धारित कच्चे माल के संग्रहण की भी व्यवस्था समूहों के पास नहीं पायी गयी। यदि अवस्थापना मद से अल्पकालिक संग्रहण हेतु गोदाम की प्रवन्ध कराया जा सके तो सक्रिय समूहों का लाभ वढ़ाया जा सकता है।

दरी, आसनी, रेडीमेड कपड़े आदि कार्यकलापों में संलग्न सक्रिय समूहों को कच्चा माल वड़े व्यवसायियों, दलालों अथवा आढ़तियों से प्राप्त हो रहा है तथा समूह की महिलायें प्रति नग मजदूरी के आधार पर उत्पादन कार्य कर रही है।

गुणवत्ता एवं प्रमाणीकरण — महिला समूहों द्वारा उत्पादित वस्तुएँ गुणवत्ता की दृष्टि से सन्तोषजनक स्तर की नहीं थी। यही कारण है कि खुले वाजार की प्रतिस्पर्द्धा मे वे लाभ प्राप्त करने में सक्षम नहीं है। दरी, आसनी, फल संरक्षण तथा रेडीमेड कपड़े में संलग्न समूहों के उत्पादों की गुणवत्ता अन्य समूहों की तुलना में अपेक्षाकृत वेहतर पायी गयी। यह भी अनुभव किया गया कि कौशल अभिवृद्धि प्रशिक्षण के माध्यम से यदि गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके तो जहाँ एक ओर सक्रिय समूहों खुले वाजार में अपने उत्पाद के विपणन से नियमित आय प्राप्त कर सकेंगे। वही दूसरी ओर आंशिक रूप से सक्रिय समुह को और अधिक सक्रिय वनाया जा तसकेगा। महिला समूहों में गुणवत्ता के प्रति चेतना का भी अभाव पाया गया।

गैर-परम्परागत व्यवसायों में यद्यपि गुणवत्ता एवं प्रमाणीकरण का अभाव था। परन्तु परम्परागत घरेलू उत्पादों में जो 'डवाकरा' कार्यकलापों की सूची में शामिल नहीं हैं, गुणवत्ता उन्नत स्तर की देखने को मिली। इनमें भौंकी वनाना, वाँस डलिया एवं वाँस के अन्य उत्पाद तथा क्रोशिये का कार्य प्रमुख थे।

डिजाइन और पैकेजिंग — सक्रिय समूहों के उत्पादों के लाभकारी मूल्य मिल सकने में एवं महत्वपूर्ण वाधा डिजाइन व पैकेजिंग का अभाव है। यहाँ पुनः कौशल अभिवृद्धि प्रशिक्षण से लाभ प्राप्त किया जा सकता है। पुरे जल पर फल संरक्षण के संलग्न मात्र एक समूह के उत्पाद आकर्पक पैकेजिंग के साथ देखने को मिले। परम्परागत् घरेलू उत्पादों को उभरते वाजार की रूचि व फैशन का अध्ययन कर यदि महिला समूहों को डिजाइनिंग का प्रशिक्षण भी दिया जाय तो लाभकारी परिणाम प्राप्त होंगे। एक सा कार्य करने वाले समूहों की पैकेजिंग के एक ही प्रकार की पैकेजिंग की व्यवस्था की जा सकती है इसमें स्वैच्छिक संस्ता या जिला ग्राम्य विकास अभिकरण का सहयोग लिया जाना चाहिए।

कार्यस्थल — लगभग सभी समूहों की सदस्यायें अपने-अपने घरों पर कार्य करतीं पायी गयी। केवल एक समूह के पास कार्यशाला पायी गयी परन्तु रोशनी व सफाई की दृष्टिसे वह भी संतोपजनक स्तर की नहीं थी। वैसे भी महिलायें अपने घर पर ही कार्य करने को प्राथमिकता देती हुयी देखी गयी इसीलिए क्रेश की योजना भी व्यावहारिक स्तर पर सफल नहीं दिखायी दी। महिलायें अपने घरों पर कार्य कर रही थी और उनके वच्चे उन्हीं के साथ थे। इसके दुष्प्रभाव के रूप में उत्पादों के अंतिम स्वरूप में सफाई व चमक में कमी, उत्पादों को तैयार करने में समय लागत का अधिक होना, व्यावसायिक कार्य तथा पारिवारिक वाधाओं में टकराव आदि देखने को मिला। सक्रिय समूहों में कार्यशाला संस्कृति का विकास किया जाना जरूरी है। इससे अन्य आर्थिक लाभों के अतिरिक्त सामूहिक रूप के कार्य करने की भावना का और विकास होगा।

विशिष्टीकरण — अनेक समूहों में यह देखा गया कि कुछ वस्तुएँ तो वे श्रेठ स्तर की वना रहे हैं जवकि कुछ वस्तुओं का स्तर वाजार प्रतिस्पर्द्धा की दृष्टि वहुत नीचे है और वे दोनों प्रकार के वस्तुओं के उत्पादन में संलग्न है। समूहों को उनकी तुलनात्मक श्रेष्ठता के आधार पर किसी एक ही वस्तु के उत्पादन हेतु सुझाव दिया जाना चाहिए। इससे समूहों को विशिष्टीकरण का लाभ मिलेगा तथा 'डवाकरा' समूहों हेतु कौशल अभिवृद्धि प्रशिक्षण तथा उत्पादन एवं विपणन हेतु योजना तैयार करने में भी सुविधा होगी।

मशीने एवं उपकरण — 'डवाकरा' समूहों में सामान्य रूप से देखा गया कि उत्पादन हेतु उन्नत उपकरणों का प्रयोग नगण्य है। पापड़, चिप्स या नमकीन वनाने तथा पैकिंग करने के लिए विल्कुल घरेलू तकनीक अपनायी जा रही है। रेडीमेड कपड़ों की सिलाई करने वालों के उपकरण भी उन्नत स्तर के नहीं पाए गए। इस दिशा में यदि ध्यान दिया जाए तो सक्रिय समूहों की उत्पादकता वढ़ायी जा सकती है तथा उत्पादों की गुणवत्ता में भी सुधार लाया जा सकता है।

विपणन

महिला समूहों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के विपणन हेतु शासन द्वारा शोरूम, प्रदर्शनी व मेलों की चर्चा निरन्तर की जाती है तथा इसके लिए पर्याप्त मात्रा में धन भी आवंटित किया जाता परन्तु फिर भी महिला समूहों के उत्पादों की विक्री नहींवढ़ पा रही है। सर्वेक्षण के आधार पर पाया गया कि सरकारी देखरेख में किए जाए वाली

विपणन व्यवस्था से विभाग को तो प्रचार मिलता है परन्तु समूहों की आमदनी नहीं वढ़ पाती। काफी समय से शोरूम में समूहों द्वारा भेजे गए उत्पादों का भुगतान अम्वित है जो समूहों को हतोत्साहित कर रहा है।

इसके अतिरिक्त शोरूम या प्रदर्शनियों से समूहों को नियमित आय नहीं प्राप्त हो सकती इसके लिए उन्हें खुले वाजार में हस्तक्षेप करना होगा। वाजार प्रतिस्पर्द्धा से माँग की प्रकृति, उपभोक्ताओं की रुचि, उत्पाद की गुणवत्ता, लागत व मूल्य आदि का व्यवहारिक ज्ञान समूहों को स्वतः होगा। इस दृष्टि से कुछ चुने हुए ग्रामीण वाजारों में 'डवाकरा डिपो' स्थापित किए जाने चाहिए तथा प्रत्येक डिपो पर जनपद के समस्त समूहों द्वारा उत्पादित वस्तुएँ विक्रय हेतु रखी जानी चाहिए। यथा सम्भव डिपो का संचालन समूह की सक्षम सदस्याओं द्वारा कराया जाना चाहिए।

महिला समूहों की सौदेवाजी की शक्ति वहुत ही निम्न स्तर की पायी गयी। वे अपने उत्पाद को वाजार में प्रचलित वास्तविक कीमत से चौथाई दाम पर भी वेजने को तैयार देखी गयी। उन्हें मूल्य की गणना करने का ज्ञान नहीं था। जिन सक्रिय समूहों के उत्पाद वाजार में विक रहे हैं उनमें भी उत्पाद के मूल्य का। निर्धारण परिवार के पुरुष सदस्य करते पाये गये। महिला समूहो को कच्चे माल, श्रम, समय तथा पैकेजिंग की लागत की गणना का प्रशिक्षण दिया जाना जरूरी है ताकि वे अपने उत्पाद का वास्तविक मूल्य निर्धारित करने में सक्षम हो सकें।

गुणवत्ता, प्रमाणीकरण, डिजाइन तथा पैकेजिंग के सुधार लाकर सक्रिय समूहों के उत्पादों को खुले वाजार की प्रतिस्पर्द्धा में टिक सकने लायक वनाया जा सकता है। इस दृष्टि से समूहों में विशिष्टीकरण की नीति लाभदायी होगी। समूहों द्वारा उत्पादित वस्तुये डिपो से विक्री होती रहेंगी तथा उन्हें नियमित आय प्राप्त होती रहेगी।

प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं के विपणन से जोड़ने पर विशेष वल दिया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा होने पर ही संस्थाये व्यवहारिक पाठ्यक्रम वना पायेगी तथा कौशल प्रशिक्षण के साथ व्यवसाय प्रवंधन एवं विपणन का प्रशिक्षण देने के लिए प्रेरित होगी।

समूहों के परिवार वे पुरुष सदस्यों का विपणन में महत्वपूर्ण भूमिका देखी गयी। दरी व कालीन के कार्य में व्यवसायियों से सम्पर्क, रेडीमेड कपड़ों के विपणन तथा इसी प्रकार अन्य उत्पादों में भी पति, भाई या पुत्र का सहयोग समूह सदस्याओं द्वारा लिया जा रहा है। कुछ समूहों में तो वच्चे भी विपणन हेतु उत्पादों को नजदीक के वाजार में पहुँचाने का कार्य करते पाये गए। यद्यपि यह प्रवृत्ति समूह की क्रियाशीलता की दृष्टि से उपयोगी नहीं कही जा सकती फिर भी ग्रामीण क्षेत्र में वर्तमान सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेश को देखते हुए इससे निराशा होने की आवश्यकता नहीं है। इसका दुष्परिमाम यह देखने को मिला कि उत्पाद के विक्रय से प्राप्त आय पुरुष सदस्य के हाथ में चली जाती है और महिला पुनः अर्थविहीन हो जाती है इसे रोके जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। उत्पादों के विक्री मूल्यों की गणना करके उन्हें खाते में जमा करने की प्रक्रिया विकसित करनी होगी तभी महिलाओं को अपने श्रम की कीमत का ज्ञान हो सकेगा और वेहतर मूल्य प्राप्त करने के लिए गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रेरित हो सकेंगी।

वित्त

सक्रिय समूहों में भी आवृत्ति कोप (Revolving Fund) के उपयोग के प्रति सक्रियता का अभाव देखा गया। आवृत्ति कोप का उपयोग समूह के कार्यकलापों को मापने का एक वास्तविक मापदण्ड माना जा सकता है।

इस दृष्टि से सक्रिय समूहों में से वहुतों को सक्रिय श्रेणी से हटा देना होगा। परन्तु ऐसा कहना गलत है क्योंकि आवृत्ति कोप का उपयोग न करते हुए भी समूह सक्रिय पाए गए। वस्तुतः कच्चे माल की आपूर्ति अन्य स्रोतों से होने के कारण वे माँत्र मजदूरी के आधार पर उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं और इसलिए आवृत्ति कोप के प्रयोग की उन्हें आवश्यकता भी नहीं पड़ती है।

आवृत्ति कोष के उपयोग के प्रति भय की भावना भी देखी गयी। महिलाओं में ऋण के प्रति आकर्पण कम पाया गया। हाल के वर्षों में वड़े पैमाने पर R.C. जारी होने और उससे प्रताड़ित परिवारों की दुर्दशा को देखकर लमूह को महिला सदस्य आवृत्ति कोप से धन लेने के प्रति भयभीत दिखायी दीं। वहुतों ने तो स्पष्ट कहा कि वे ऋणों के जाल में फंसने की तुलना में कम आय प्राप्त करना वेहतर मानती है। इस दिशा में समूह सदस्याओं और साथ ही साथ सहायक विकास अधिकारियों (महिला) को शिक्षित किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। इस दिशा में प्रेरणात्मक प्रशिक्षण उपयोगी होगा।

संस्तुतिया

1. जो संयोजिकाएँ गरीवी की रेखा के ऊपर के परिवारों की महिलाये हैं उन्हें वदल कर पात्र परिवार की सदस्या को संयोजिका वनाया जाय;

2. प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं का चयन अत्यन्त सावधानी पूर्वक किया जाए तथा प्रशिक्षणोपरान्त दायित्वों के निर्वाह के लिए भी उन्हें प्रेरित किया जाए;

3. परम्परागत कौशल को भी व्यवसायिक परिधि में लाया जाए जैसे — क्रोशिये, भौंकी एवं खिलौने वनाने का कार्य। यह ध्यान रखा जाए कि इन उत्पादों की डिजाइन स्थानीय रूचि व आवश्यकता के अनुरूप विकसित की जाए;

4. विपणन के लिए कुछ चुने हुए ग्रामीण वाजारों में डिपो स्थापित किए जाएं

5. कौशल अभिवृद्धि प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए ताकि गुणवत्ता में सुधार लाया जा सकें। कौशल अभिवृद्धि के साथ-साथ पूरक कौशल का भी प्रशिक्षण दिया जाए जैसे सिलाई का कार्य करने वालो को कढ़ाई का, फल संरक्षण में कार्य करने वालों को पुष्टाहार तथा वागवानी सम्वन्धी ज्ञान भी दिया जाए

6. पुरुपों के माध्यम से विपणन को हतोत्साहित न करते हुए उत्पाद की विक्री से प्राप्त आय समूह के खाते में जमा करने की व्यवस्था विकसित की जाए;

7. समूह संयोजिकाओं तथा विकास खण्ड स्तर के अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए प्रेरणात्मक प्रशिक्षण नियमित रूप से आयोजित किया जाएँ;

8. प्रतिवर्प डवाकरा महिला सम्मेलन आयोजित किया जडाए तथा समूह के क्रियाकलापों के नियमित अनुश्रवण के तंत्र को विकसित किया जाए।

9. कार्यकलापों तथा उत्पादों की तुलनात्मक श्रेष्टता को देखते हुए समूहों को विशिष्टीकरण के लिए चिन्हित किया जाए तथा गुणवत्ता में सुधार हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए;

10. सक्रिय समूहों को उन्नत उपकरण व मशीनें उपलव्ध करायी जाए।

नियमावली

1. संस्था का नाम महिला समूह

2. संस्था का पता ग्राम पोस्ट

विकास खण्ड जिला

3. संस्था का कार्यक्षेत्र : ग्राम सभा

4. संस्था की सदस्यता

महिला समूह में केवल एक ही प्रकार के अर्थात् साधारण सदस्या होंगी जो 18-40 वर्ष की महिला/युवतियाँ होंगी और उन्हें 10 रु० वार्षिक शुल्क देना होगा प्रवन्ध कार्यकारिणी समिति द्वारा स्वीकृति दिये जाने पर ही सदस्यता मान्य होगी।

5. सदस्यता की समाप्ति :

क — मृत्यु होने पर

ख — पागल या दिवालिया होने पर

ग — राज्य सरकार या न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर

घ — संस्था का शुल्क समय पर न होने पर, तथा

ङ — संस्था विरोधी कार्य करने तथा प्रवन्धकारिणी समिति द्वारा निकाले जाने पर

6. संस्था के अंग : संस्था के संचालन हेतु निम्नलिखित दो अंग होंगे :

अ. साधारण सभा,

व. प्रवन्धकारीणी समिति

7. साधारण सभा का गठन/कर्तव्य :

महिला समूह के सभी साधारण सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा होगी। साधारम सभा की वैठक वर्ष में कम से कम एक वार आयोजित होगी तथा वैठक की सूचना सभी सदस्यों को दो सप्ताह पूर्व दी जायेगी। साधारण सभा की वैठक हेतु 1/3 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

साधारण सभा के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे :

1— प्रवन्धकारिणी समिति का चुनाव कराना।

2— महिला समूहों का चयन करना।

3— आगामी वर्प के लिए अनुमानित वजट का प्रस्ताव स्वीकृत करना।

4— वार्पिक लेखा स्वीकृत करना।

5— महिला समूह के कार्यक्रमों को स्वीकृत करना तथा कार्यकलापों का संचालन सुनिश्चित करना, कच्चे माल तथा विपणन की व्यवस्था।

6— संस्था के पदाधिकारियों को वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारियों की सीमा निर्धारित कना।

7— महिला समूह द्वारा चलाये गये कार्यकलाप की लाभ-हानि का विवरण लेना।

8— कार्यकारिणी के सदस्यों के कार्य विभाजन करना, तथा

9— संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सभी विधि सम्मत कार्य करना।

८. प्रवन्धकारीणी समिति :

क — गठन/प्रवन्धकारीणी समिति का गठन साधारण सभा के सदस्यों को चुनाव द्वारा किया जायेगा जिसका कार्यकाल एक वर्ष (अप्रैल से मार्च) होगा।

ख — वैठक :

प्रवन्धकारिणी समिति की वैठक वर्ष में कम से कम चार बार आयोजित की जायेगी। कम से कम एक सप्ताह पूर्व वैठक हेतु सूचना दी जायेगी।

ग — कोरम :

कम से कम 1/2 सदस्यों का कोरम होगा।

घ — प्रवन्धकारिणी समिति में कम से कम सात और अधिक से अधिक 9 सदस्य होंगे :

1— ग्रुप लीडर/अध्यक्ष	:	एक
2— संयोजिका/मंत्री	:	एक
3— कोषाध्यक्ष	:	एक
4— सदस्य	:	छः

(टिप्पणी) संयोजिका शासन की ओर से नियुक्त क्षेत्र की ग्राम सेविका इस समूह की पदेन संयोजिका/मंत्री होगी। ग्राम सेविका महिला समूहों का मार्गदर्शन और कार्यकारिणी सदस्यों के प्रशिक्षण का प्रवन्ध भी समय-समय पर करायेंगी।

ङ — नामांकन :

प्रवन्धकारिणी समिति को अधिकार होगा कि यदि कोई स्थान प्रवन्धकारिणी समिति में रिक्त हो तो ऐसी स्थिति में किसी भी सदस्य को रिक्त नामांकित कर लें जव तक नया चुनाव न हो। रिक्त स्थानों की पूर्ति यथा समय साधारण सभा के सदस्यों में से चुनाव के द्वारा किया जायेगा।

च — प्रवन्धकारिणी समिति के सदस्य :

1— संस्थान के नैत्यिक संचालन से संवंधित सभी कार्य करना।

2— वैठकों से संवंधित सभी कार्यवाही करना।

3— महिला समूह के कार्यक्रम वनाना, संचालन करना एवं देख-रेख करना।

4— महिला समूहों के लेखा-जोखा को तैयार करना।

5— संस्था के कार्यकलापों से संवंधित व्यवस्था सुदृढ़ करना।

6— सदस्यों की कुशलता वढ़ाने हेतु उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था।

7— कार्य कलापों को सुचारु रूप से चलाने हेतु समस्त यथोचित उपाय करना।

छ — संस्था का कोष :

महिला समूह अपना समस्तं धन जो राज्य सरकार, भारत सरकार और यूनिसेफ या अन्य से मिलेगा को किसी स्थानीय राष्ट्रीयकृत व्यवसायिक या सरकारी बैंठक में रखेगा। यह एक संयुक्त खाता होगा जो ग्रुप लीडर और कोषाध्यक्ष दोनों द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जायेगा। ग्रुप लीडर के हट जाने, त्याग पत्र देने या अन्य किसी कारण से ग्रुप से अलग हो जाने पर कोषाध्यक्ष प्रवन्धकारिणी समिति द्वारा अधिकृत सदस्य द्वारा यह कार्य किये जायेंगे और परिवर्तन की सूचना बैंग को दे दी जायेगी।

यह कार्यवाही खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रमाणित की जायेगी और प्रमाणित होने पर मान्य समझी जायेगी।

ज — अन्य मामले :

उपरोक्त विपयों के अतिरिक्त अन्य मामलों में से कार्यवाही जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के परामर्श से सोसायटीज रजिस्ट्रेसन एक्ट, 1860 के अनुसार दी जायेगी। जिला ग्राम विकास अभिकरण/खण्ड विकास अधिकारी को अधिकार होगा कि वह ग्रुप के कार्यकलापों की समीक्षा करें तथा समय-समय पर मार्गदर्शन दें।

9. प्रवन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के कर्तव्य व अधिकार :

(अ) ग्रुप लीडर/अध्यक्ष

1— साधारण सभा तथा प्रवन्धकारिणी समिति की वैठकों की अध्यक्षता करना तथा उनमें अनुशासन वनाये रखना।

2— वैठकों के विचारार्थ विपयों का अनुमोदन कनरा।

3— वैठकों की कार्यवाही का अनुमोदन करना।

4— महिला समूहों के कार्यक्रमों में सुधार लाना तथा महिला समूह के सदस्यों का उत्साह वढ़ाना।

5— महिला समूह की असाधारण वैठकों के आयोजनों का आदेश पारित करना।

6— विकास कार्यकर्त्ताओं में सामन्जस्य रखना।

7— संस्था विरोधी कार्य न होने देना तथा आवश्यक होने पर महिला समूह के हिसाव-किताव संवंधी अन्य अभिलेखों की जांच करना।

(व) संयोजिका

1— प्रवन्धकारिणी समिति तथा साधारण सभा अन्य वैठकों में वुलाना।

2— वैठकों में विचारणीय विपयों को सहमति से निश्चित करना।

5. वर्ष में दो आय व्यय का लेखा तैयार करना और उनकी जाँच सम्प्रेक्षक द्वारा कराना तथा सम्प्रेक्षक की रिपोर्ट के माध्यम से कार्यकारिणी समिति तथा साधारण सभा के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करना।

10. संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन साधारण सभा द्वारा 3/5 के वहुमत से किया जायेगा।

11. संस्था के आय व्यय की सम्परीक्षा प्रति वर्ष राजकीय सम्प्रेक्षक द्वारा करायी जायेगी।

12. संस्था द्वारा यह उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही उसकी देखभाल व संचालन आदि का उत्तरदायित्व मंत्री का होगा।

13. संस्था का अभिलेख

(1) सदस्यता

(2) कार्यवाही रजिस्टर

(3) स्टाक रजिस्टर

(4) कैश वुक आदि।

14. संस्था का विघटन तथा विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

स्मृति पत्र

1. संस्था का नाम महिला समूह
2. संस्था का पता : ग्राम पोस्ट
   जनपद
3. कार्यक्षेत्र : ग्राम सभा
4. उद्देश्य :

1— ग्रामीण महिलाओं जिनकी संख्या 15 से 20 के बीच हो, को समूह का रूप देना और 5 से 10 ग्रामों के ग्रामीण महिलाओं को संगठित कर ग्रामोद्योगमाध्यम से उनके सामाजिक स्तर को उ करने का प्रयास करना।

2— उक्त कार्यक्रम चलाने हेतु व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से ऋण की व्यवस्था करना तथा कार्यकलापों का कुशल संचालन करना।

3— उक्त कार्यकलापों को प्रोत्साहन देते हुए सदस्यों को उन्नति के अवसर देना।

4— सुधरे ढंग से उत्पादन, सम्भरण प्रक्रिया एवं संरक्षण करना।

5— अपनाये गये कार्य कलापों को क्रियान्वित करने एवं विस्तार हेतु ठोस कदम उठाना।

6— बच्चों और गर्भवती तथा धात्री महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण की आवश्यकता की जानकारी बढ़ाना और इस जरूरतमंद वर्ग को भोजन के अतिरिक्त आवश्यकता का व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से पूरा करना जिससे देश के भावी नागरिकों का स्वास्थ्य सुनिश्चित हो सके।

7— संस्था द्वारा अर्जित आय के उद्देश्यों की पूर्ति में व्यय करना।

8— समस्त अन्य कार्य करना जो विधि सम्मत हो और संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति में सहयोगी हों।

9— प्रबन्ध कारिणी समिति के सदस्यों के नाम, पता, पद व्यवसाय जिनमें संस्था के नियमानुसार संस्था के प्रबन्ध एवं संचालन का कार्यभार सौंपा गया है।

होने वालाव्यय आई. आर. डी. के इनफ्रास्ट्रक्चर मद से वहन किया जायेगा। अतः केवल आयु के कारण ऐसी महिलाओं को प्रशिक्षण-ऋण की सुविधा से वंचित नहीं किया जायेगा।

2.6 चयनित व्यवसायों के अनुसार समूहों के गठन में कलस्टर अप्रौच अपनायी जाय। समुहों के गठन के समय, इस वात का विशेष ध्यान रखा जाय कि समूह ऐसे गांवों में एवं ऐसी महिलाओं के माध्यम से गठित किये जायें, जहाँ महिलायें कार्य कनरे की इच्छुक हों तथा कार्यकलाप सफल होने की सम्भावना हो। नये समहूओं के साथ-साथ पुराने समूहों को भी सक्रिय करने का प्रयास किया जा सके। समूह संगठ° हेतु विभिन्न विभागों एवं स्वैच्छिक संस्थाओं का पूर्ण सहयोग लिया जाये।

2.7 समूह गठन के दौरान समूह की एक सदस्या जो थोड़ी पढ़ी लिखि हो, जिसमें नेतृत्व का गुण विद्यमान हो, कार्यक्रम में दिलचस्पी रखती हो एवं अवैतनिक कार्य करने की इच्छुक हो, को समूह संयोजिका वनाया जाय। इसके अतिरिक्त थोड़ी पढ़ी लिखी महिला को कोषाध्यक्ष के रूप में भी चयन किया जाय। एक वर्ष तक समूह संयोजनका का प्रतिमाह पचास रुपया रिवाल्विंगफण्ड की धनराशि से मानदे के रूप में दिया जाय ताकि समूह संचालन के प्रति रुचि जाग्रत हो सके। समूह गठ° में ग्राम पंचायत का पूर्ण सहयोग व अनुमोदन लिया जायेगा। समूह गठन के वाद समूहां की सूर्चा खण्ड विकास अधिकारी /पंचायत समिति को उपलव्ध करायी जायेगी। वह अपने स्तर से प्राप्त सूची को अनुमोदन हेतु जिला ग्राम्य विकास अभिकरण को उपलव्ध करायेंगे।

3.0 समूहों का पंजीकरण :

वैंक से लोन सुविधा उपलव्ध कराने के उद्देश्य से समूहों का रजिस्ट्रेशन फर्म्स एण्ड सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत रुपया 5/- शुल्क देकर रजिस्ट्रा फर्म्स एण्ड सोसायटीज के क्षेत्रीय कार्यालय के पंजीकरण कराया जाय। (नियमावली परिशिष्ट —1)

4.0 आर्थिक कार्यकलाप का चयन :

4.1 समूह द्वारा अपनाये जाने वाले आर्थिक कार्यकलाप का चयन अत्यन्त सावधानि से भली भांति परीक्षणोपरान्त किया जाना चाहिए। यथासम्भव कार्यकलाप ऐसा होना चाहिए जिसके लिए कच्चा माल प्रशिक्षण हेतु वांछित योग्यायुक्त संस्था तथा वाजार स्थायी तौर पर उपलव्ध हो।

4.2 जनपद की स्थानीय आवश्यकता, डिमांड समहूओं कि रुचि के अनुसार लाभकारी कोई भी ट्रेड लिया जा सकता है। उचित होगा ट्रेड चयन हेतु विकास खण्ड स्तर पर एक समिति वना ट्रेड का चयन किया जाय।

4.3 यह उचित होगा कि महिला समूहों को केसेन्डरी तथा टर्सरी सेक्टर से संवंधित कार्यकलाप प्राथमिकता पर दिये जायें, साथ ही जहां दुंग्ध समिति क्षेत्र हों वहां दुधारु पशु और अन्य स्थानों पर कुक्कुट पालन, सुअर पालन या अन्य कार्यकलाप भी मल्टीपिल एक्ट योजना के अंतर्गत दिये जायें। उल्लेखनीय है कि यह कार्यक्रम आई. आर. डी. पी. का ही घटक है। अतः आई. आर. डी. पी. की भांति इसे भी मल्टीपिल एसेट देकर औसत पूंजी निवेश रु. 17,000/- या उससे अधिक करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

5.0 प्रशिक्षण :

इस योजना के अन्तर्गत दो प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम अनिवार्यतः आयोजित किये जाते हैं।

अ. प्रेरणात्मक प्रशिक्षण

ब. कौशल प्रशिक्षण

5.1 प्रेरणात्मक प्रशिक्षण :

प्रेरणात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत वर्तमान सत्र में निम्नानुसार सत्र आयोजित किये जायेंगे। समस्त प्रशिक्षण एस. आई. आर. डी./आर. आई. डी. द्वारा ही सम्पादित किये जायेगें।

क्र.सं.	सत्र	कार्य दिवस		रिफ्रेसर (दिवस)	सत्र आयोजक संस्था
1.	ट्रेनर्स ट्रेनिंग	5	2	एक वर्ष छोड़कर	एस. आई. आर. डी.
2.	सहा. परि. अधि. (महिला) खं. वि. अ.	5	2	एक वर्ष छोड़कर	एस. आई. आर. डी.
3.	स. वि. अ (महिला)/ग्रा. वि. अ. (महिला)	12	4	एक वर्ष छोड़कर	आर. आई. आर. डी.
4.	समूह सोयिजकाएं	6	4	एक वर्ष छोड़कर	आर. आई. आर. डी.
5.	जिला स्तरीय अधिकारी/ कर्मचारी	1	1	एक वर्ष छोड़कर	आर. आई. आर..डी.
6.	विकास खण्ड स्तरीय अधिकारी	1	1		आर. आई. आर. डी.

प्रेरणात्मक प्रशिक्षण हेतु विभिन्न जनपदों को विभिन्न क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थानों से सम्वद्ध किया जाता है। (परिशिष्ट—2)

5.2 कौशल प्रशिक्षण :

आर्थिक कार्यकलाप के चयन के उपरान्त तत्काल ही उस क्रियाकलाप में प्रशिक्षण की व्यवस्था हो जानी चाहिए। यह प्रशिक्षण ट्राइसेस के मार्ग निर्देशों के अनुसार ही संचालित किया जायेगा। विशिप परिस्थितयों में जिन महिलाओं की आयु 35 वर्ष से अधिक है उन्हें भी कौशल प्रशिक्षण ट्राइसें पैटर्न पर दिया जायेगा केवल उसका व्यय ट्राइसेम मद से न होकर आई. आर. डी. पी. अवस्थापना मद से किया जायेगा।

प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को टूल किट्स उपलब्ध करा दी जायें ताकि प्रशिक्षार्थी अभ्यास कर सकें।

कौशल प्रशिक्षण अत्यन्त विख्यात संस्थाओं/मास्टर क्राफ्ट मैन द्वारा ही कराया जाना चाहिए। जिससे उत्पादन की गुणवत्ता उच्च स्तर की हो। विभिन्न ट्रेड्स में प्रशिक्षण की अवधि का विवरण परिशिष्ट — 5 पर अवलोकनीय है है। किसी भी ट्रेड में प्रशिक्षण की अवधि अधिकतम 6 महा की होगी। संस्थाओं द्वारा बैकवर्ड तथा फारवर्ड लिंकजेज सुनिश्चित किय आजायेगा तथा प्रशिक्षण के उपरान्त समूहों को दो या तीन वर्ष तक कच्चा माल उपलब्ध करायेंगे तथा उत्पादित वस्तुओं के विपणन की व्यवस्था करेंगे। सहायक परियोजना अधिकारी (महिला)

चयनित कार्यकलापों में प्रशिक्षण हेतु संस्था का चुनाव प्रस्तावित कर परियोजना निदेशक से अनुमति प्राप्त करेंगी। प्रशिक्षण प्रारम्भ करने के लिए पंजीकरण आवश्यक नहीं है। अतः पंजीकरण व प्रशिक्षण की कार्यवाही साथ ही साथ की जा सकती है। कौशल प्रशिक्षण के लिए व्यवसाय व प्रशिक्षण संस्थान की चयन प्रक्रिया में सहायक परियोजना अधिकारी (महिला) को भी शामिल किया जाय।

कौशल प्रशिक्षण के दौरान ग्राम विकास अधिकारी (महिला) खण्ड विका अधिकारी/सहायक विकास अधिकारी (महिला) तथा परियोजना.निदेशक निम्न कार्यक्रम के अनुसार अनिवार्य रूप से निरीक्षण करेंगे।

1. ग्राम विकास अधिकारी (महिला)	प्रति प्रशिक्षणरत समूह सप्ताह में एक वार
2. सहायक विकास अधिकारी (महिला)	तदैव
3. खण्ड विकास अधिकारी	प्रत्येक शनिवार 5 प्रशिक्षणरत समूह जनपद में रह-प्रशि.
4. सहा. परि. अधि. (महिला)	प्रशिक्षणरत समूह पक्ष. में एक वार
5. परियोजना निदेशक	सप्ताप में 5 प्रशिक्षणरत समूह

प्रत्येक प्रशिक्षण समूह के समृवन्ध में एक रजिस्टर वनाया जायेगा। जिसके रख रखाव का दायित्व ग्राम्य विकास अधिकारी (महिला)/समूह संयोजिका का होगा। यह रजिस्टर प्रशिक्षण स्तर पर उपलव्ध रहेगा तथा प्रत्येक निरीक्षणकर्ता द्वारा उस रजिस्टर में तिथि एवं समय सहित अपनी टिप्पणी अंकित की जायेगी। खण्ड विकास अधिकारी को छोड़कर उपरोक्त सभी अधिकारियों से दिन निश्चित नहीं किये गये हैं। अतएव उनके द्वारा किये जा-ने वाले प्रशिक्षण की प्रकृति आकस्मिक होनी चाहिए। जिससे प्रशिक्षण की सही स्थिति ज्ञात हो सके। खण्ड विकास अधिकारी के लिए दिन इस आशय से निश्चित किया गया है कि वह उस दिन अनिवार्यतः प्रश्नगत कार्य करेंगे। प्रायः यह देखा गाय है कि खण्ड विकास अधिकारी द्वारा इस कार्यक्रम में अपेक्षित रुचि नहीं ली जाती है। इस दृष्टि से भी इस प्रकार की व्यवस्था आवश्यक है।

प्रशिक्षण के दौरान कुछ सामग्री तैयार होना, स्वाभाविक है कि उस सामग्री की गुणवत्ता ऊंचे स्तर की नहीं होगी किन्तु फिर भी इसकी विक्री उचित दरों पर की जा सकती है। प्रशिक्षण के दौरान उत्पादित सामग्री के सं-वंध में निम्न व्यवस्था की जाय।

हर विका खण्ड में ए. डी. ओ./ ग्राम विकास अधिकारी (महिला) के स्तर पर अनिवार्य रूप से समूहवार उत्पादित सामग्री का रजिस्टर रखा जायेगा। ट्रेनिंग की अवधि समाप्त होने पर सहायक परियोजना अधिकारी (महिला/ए. पी. ओ. इंचार्ज (डी. डब्लू. सी. आर. ए.) द्वारा व्यक्तिगत निगरानी में इस सामान की विक्री की जायेगी। प्राप्त धनराशि में से प्रशिक्षार्थी महिलाओं तथा प्रशिक्षक संस्था का अंश आधा-आधा होगा। प्रशिक्षण समाप्त होने के उपरान्त इस सामग्री की तूरन्त विक्री किये जाने की व्यवस्था की जाय। यदि उत्पादित सामग्री (पेरिसेविल) शीघ्र नष्ट होने वाली प्रकृति का है तो उसे स्टोर न किया जाय वल्कि ए. पी. ओ.(महिला) उसकी तत्काल विक्री सुनिश्चित कर उपरोक्तानुसार कार्यवाही करेंगी।

इस मामले में आने वाली किसी शिकायत का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व ए. पी. ओ . (महिला) ए. पी. ओ. इंचार्ज (डी. डव्ल्यू . सी. आर. ए.) का होगा। अतः इनके स्तर पर अत्यन्त कड़े पर्यवेक्षण की अपेक्षा की जाती है।

5.3 कौशल अभिवृद्धि प्रशिक्षण :

जनपद में कार्यरत ड्वाकरा समूहों द्वारा उत्पादित वस्तुओं में गुणात्मक सुधार लाने के उद्देश्य से कौशल अभिवृद्धि प्रशिक्षण दिलाया जा सकता है। इस पर आने वाला व्यय यूनीसेफ द्वारा वहन किया जाना प्रस्तावित है। ड्वाकरा समूह जो उत्पादित वस्तुओं में गुणात्मक सुधार लाने की इच्छा रखते हैं तथा उसकी आवश्यकता हो ऐसे समूह को चिन्हित कर निदेशालय को अवगत कराया जाय। प्रशिक्षण देने योग्य संस्था भी यथासम्भव प्रस्तावित की जाय।

6.1 रिवाल्विंग फण्ड :

प्रायः यह पाया गया है कि रिवाल्विंग फण्ड की धनराशि समूह को पुलव्ध होने में वहुत अधिक समय लगता है। अतः यह अपेक्षा की जाती है कि जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा समूह के प्रशिक्षण की अवधि पूर्ण होने के पूर्व ही रिवाल्विंग फण्ड की धनराशि विकास खण्ड को हस्तान्तरित कर दी जायेगी तथा खण्ड विकास अधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वे भी उपरोक्त अवधि पूर्ण होने के पूर्व ही समूह का वैंक में खाता खुलवाकर धनराशि को हस्तान्तरित करा दें। पंजीकरण के अभाव में रिवाल्विंग फण्ड की धनराशि को समूह के खाते में हस्तान्तरित करने से न रोका जाय। समूह संयोजिका के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा खाता खोला जायेगा एवं संचालित किया जायेगा। पुराने सभी समूहों जहां खाते ग्राम विकास अधिकारी व समूह संयोजिका के नाम से हैं, समूह संयोजिका/कोषाध्यक्ष के नाम से तत्काल हस्तान्तारित कर दिये जायें। न होने पर उत्तरदायित्व सहायक परियोजना अधिकारी (महिला)/वी.डी.ओ./सहायक विकास अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी का होगा। रिवाल्विंग फण्ड की धनराशि समय से हस्तातान्तिर न किये जाने का प्रतिकूल दृष्टि से देखा जायेगा।

भारत सरकार के ड्वाकरा मैनुअल के अनुसार हस्तान्तारित रिवालविंग फण्ड का उपयोग समूहों द्वारा निम्नलिखित रूप से किया जाय —

(1) आर्थिक कार्यकलाप के लिए कच्चा माल की उपलव्धता की व्यवस्था

(2) समूह संयोजिका को रु.50/- प्रतिमाह मानदेय अधिकतम एक वर्प के लिए।

(3) आर्थिक कार्यकलापों के लिए व्यवस्था सुदृढ़ीकरण।

(4) समूह सदस्याओं के ऋण स्वीकृत कराने हेतु की गयी यात्रा पर एक मुश्त या अधिकतम रु. 500/-

पिछले वर्प समीक्षा में यह पाया गया कि रु. 200/- यात्रा भत्ता की धनराशि विकास खण्ड स्तर पर अनुपयुक्त पड़ी रहती है व समूह संयोजिकाओं को नहीं दी गयी है अतोछ रिवाल्विंग फण्ड के रूप में प्राप्त रु. 25,000/- समूह खाते में जमा कर दिया जाय। जिसमें 200/- रु. यात्रा भत्ता ग्राम विकास अधिकारी व सहायक

विकास अधिकारी की स्वीकृति के आधार पर समूह संयोजिका को भुगतान किया जायेगा। जिसका अंकन सहायक विकास अधिकारी रिवाल्विंग फण्ड पंजिका में करेंगी।

थ्रिप्ट एण्ड क्रेडिट :

थ्रिप्ट एण्ड क्रेडिट सोसायटीज के गठन पर विशेष वल दिया जाय। जिससे महिलाओं के अन्दर बचत की भावना जागरुक हो तथा उन्हें अपनी आय के श्रोत से थोड़ी-थोड़ी धनराशि जमा करने की आदत डाली जाये। उदाहरणस्वरूप प्रति महिला 10 से 15 रु. प्रतिमाह जमा कर सकती हैं। वर्ष में जितनी धनराशि जमा होगी। उसे मैचिंग शेयर के रूप में आई. आर. डी. पी. अवस्थापना मद से मैचिंग शेयर के रूप में प्रदान की जायेगी। यह मैचिंग ग्रान्ट रु. 15,000/- की सीमा तक ही होगा। प्रगति आख्या का प्रारूप परिशिष्ट —13 पर।

वैंक ऋण :

योजना के अन्तर्गत समूहों की महिलाओं एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम के अंतर्गत व्यावसायिक वैंकों से ऋण व्यवस्था आर्थिक परियोजना के चयन एवं ट्राइसेम प्रशिक्षण के प्रारम्भ होने के तुरन्त वाद प्रारम्भ कर दी जाय। महिलाओं को वैंकों से सामूहिक ऋण उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। यह अनुभव किया गया है कि समूहों की महिलाओं द्वारा वैंकों से व्यक्तिगत ऋण स्वीकृत किये जा रहे हैं। परिणामस्वरूप उन्हें 50% प्रतिशत अनुदान नियमों के अंतर्गत अनुमन्य नहीं हो पाता है।

मुख्य विकास अधिकारी खण्डवार महिला समूहों को ऋण वितरण के लक्ष्य का समावेश जनपद ऋण योजना में करेंगे। नावार्ड द्वारा जिन व्यवसायों का ईकाई मूल्य निर्धारित नहीं है। उन्हें वी. एल. सी. सी. के माध्यम से अनुमोदित कराकर अग्रिम कार्यवाही की जाय।

प्रति महिला कम से कम रु. 17,000/- पूंजी निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया जाय। वैंकों के अतिरिक्त खादी ग्रामोद्योग वोर्ज से 4 प्रतिशत व्याज दर से महिलाओं को ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाय एवं महिला समूहों को कापार्ट से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु योजना वनायी जाय।

6.2 (व) सभी सदस्यों के ऋण प्रार्थना पत्र एक साथ वैंक को प्रेपित किये जायें तथा यह सुनिश्चित किये जायें। कभी-कभी यह देखा गया है कि समूहों के कुछ सदस्यों के प्रार्थना पत्र एक वार में स्वीकार होते हैं और शेप वाद में, यह प्रक्रिया उचित नही है।

6.2 (स) प्रायः यह पाया गया है कि महिला समूह की सदस्याओं को ऋण प्रदान करने में हर स्तर पर शिथिलता वरती जा रही है। अतः प्रायः जनपदों को यह निर्देश भेजे जा चुके हैं कि जहां-जहां ड्वाकरा योजना लागू है वहां आई. आर. डी. पी. के अंतर्गत महिलाओं का लक्ष्य पूर्ण करने हेतु सर्वप्रथम डी. डब्ल्यू. सी. आर. ए. समूह की सदस्याओं की ऋण उपलब्ध कराया जाय। तत्पश्चात् व्यक्तिगत महिला लाभार्थी के ऋण प्रार्थना पत्रों पर कार्यवाही की जायेगी। इसके लिए वर्ष के प्रारम्भ में प्लान तैयार कर जिला स्तरीय वैंक कमेटी की वैठक से कार्यवाही कर ली जाय। जिससे ड्वाकरा समूहों को समय से ऋण उपलब्ध कराया जा सके। इसका कड़ाई से पालन किया जाय।

7.0 उत्पादन एवं विपणन :

7.1 ग्रामीण महिला एवं वालोत्थान योजना के अंतर्गत महिला समूहों द्वारा व्यवसायों का चयन इस आधार पर किया जाना चाहिए कि उसके आर्थिक रूप से फल संचालन हेतु कच्चे माल की आपूर्ति, प्रशिक्षण एवं विपणन व्यवस्था स्थानीय अथवा वाह्य स्तर पर उपलव्ध हो सके। व्यवसाय का चयन महिलाओं की अवरूद्ध परिम्परागत कौशल तथा चयनित व्यवसाय। समूह के लिए आर्थिक रूप से लाभकारी होना चाहिए और उससे समूह को नियमित रूप से आय प्राप्त होना चाहिए जिससे महिला समूह आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो सके।

7.2 महिला समूह के व्यवसाय, उत्पादन एवं विपणन के सम्वन्ध में जिला उद्योग केन्द्र खादी ग्रामोद्योग वोर्ड तथा उत्पादन एवं विपणन में कार्यरत अन्य विभागों एवं संस्थाओं के परामर्श से क्षेत्रीय आवश्यकताओं एवं संस्थाओं के अनुरूप विकास खण्डवार वार्पिक उत्पादन कार्य योजना तैयार की जाय। वार्पिक उत्पादन कार्य योजना में उपलव्ध आर्थिक संसाधनों अवस्थापना एवं विपणन की भावी रणनीतियों का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए और इसी कार्य योजना के आधार पर ही ड्वाकरा समूहों के सुदृढ़ीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

7.3 योजना में उत्पादन एवं विपणन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पूर्व वर्प की भांति आयुक्त, ग्राम्य विकास की अध्यक्षता से सम्वन्धित विभागों के विभागाध्यक्षों की त्रैमासिक वैठकें आयोजित की जायें। प्रदेश स्तरीय विभागाध्यक्षों की वैठकों में लिए गये निर्णयों के क्रम में विगत वर्प तक समाज कल्याण विभाग, सामाजिक वानिकी विभाग, राज्य कृपि उत्पादन मण्डी परिपद, खादी ग्रामोद्योग वोर्ड तथा वाल विकास एवं पुष्टाहार विभागों दृवारा मण्डलीय/जनपद स्तरीय अधिकारियों को महिला समूहों द्वारा उत्पादित वस्तुएं प्राथमिकता के आधार पर क्रय करने के कार्यकारी निर्देश निर्गत किये गये हैं। इनका अनुपालन सुनिश्चित कियां जाय।

7.4 जनपत स्तर पर आयोजित मेलों में ड्वाकरा समूहों द्वारा भाग लेना सुनिश्चित किया जाय। इन मेलों की सूची वनाकर विकास खण्डों में उपलव्ध करायी जाय तथा एक प्रति मुख्यालय को भी भेजी जाय। इसके अतिरिक्त प्रदेश के अन्य भागों में आयोजित मेलों में भी महिला समूहों को उत्पादों के साथ भाग लेने हेतु भेजा जाय। पर्याप्त मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन पूर्व में ही कराया जाय ताकि अधिकतम विक्री सुनिश्चित हो सके। इसके लिए सहायक परियोजना अधिकारी (महिला) एवं प्रभावी सहायक परियोजना अधिकारी को उत्तदायी वनाया जाय।

7.5 जिला स्तर पर महिला समूहों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को विपणन व्यवस्था सुनिश्चित कराने तथा उसका अनुश्रवण करने हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने के निर्देश पूर्व में प्रसारित किए जा चुके हैं। अधिकांश जनपदों में समिति की त्रैमासिक वैठकें नियमति रूप से आयोजित नहीं की जा रही हैं। समिति के सदस्यों का विवरण संलग्न परिशिष्ट —12 में दिया जा रहा है। आवश्यकतानुसार इस समिति में अन्य विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों को सम्मलिति किया जा सकता है। समिति की त्रैमासिक वैठकें आयोजित कनरे के लिए सहायक परियोजना अधिकारी (महिला)/ प्रभारी सहायक

परियनोजना अधिकारी उत्तरदायी होंगे। वैठक की कार्यवृत्तं एवं वैठक की अनुपान आख्या निदेशक (ड्वाकरा) को नियमित रूप से उपलव्ध करायी जाय।

7.6 जिला स्तर पर शो रूम इम्पोरियम प्रस्तावित करने की कार्यवाही वर्ष के प्रथम सप्ताह में अवश्यमेव पूर्ण कर ली जाय अन्यथा इसे प्रतिकूल दृष्टि से देखा जायेगा इसमें महिला समूह द्वारा उत्पादित वसउतों का विक्रय सुनिश्चित किया जाय तथा प्रत्येक माह विक्रय से प्राप्त धनराशि की सूचना निदेशक (ड्वाकरा) को प्रेपित की जाय।

7.7 विभिन्न माध्यमों से विक्रय किए गये सामग्री से प्राप्त धनराशि का वितरण महिला समूह की सभी सदस्याओं में किया जाना सुनिश्चित किया जाय ताकि समय-समय पर महिलाओं को कुछ धनराशि प्राप्त होती रहे तथा उनका मनोवल उत्पादन क्षमता वढ़ाने में वना रहे। यहाँ यह भी ध्यान रखा जाय कि यदि कच्चा माल रिवाल्विंग फण्ड के पैसे से लिया गया है तो वह विक्रय से प्राप्त धनराशि का एक शनिश्चित निर्धारित अंश रिवाल्विंग फण्ड में ही जमा करते रहें ताकि रिवाल्विंग फण्ड की धनराशि की प्रतिपूर्ति होती रहे। शेष धनराशि समूह की महिलाओं में वितरित कर दी जाय तथा प्रत्येक लाभार्थी समूह की महिलाओं में वितरित कर दी जाय तथा प्रत्येक लाभार्थी महिला को विक्रय से होने वाले लाभांश की स्पष्ट एवं पूर्ण सूचना अंकित होनी चाहिए।

7.8 विपणन व्यवस्था में प्रभावी सुधार हेतु जनपदों में जिला आपूर्ति एवं विपणन समितियों का गठन प्राथमिकता के आधार पर किया जाय। यह समितियां समूहों को कच्चे माल की निरन्तर उपलव्धता सुनिश्चित करने के साथ-साथ महिलाओं को उत्पादन पूरक प्रशिक्षम तथा उद्यमति विकास का प्रवन्ध एवं विपणन की समुचित व्यवस्था करेंगी। इन समितियों में विपणन विशेपज्ञ भी नियुक्त किये जा सकते हैं। जिला आपूर्ति एवं विपणन समितियों के गठन के संवंध में जनपदों को विस्तृत निर्देश निर्गत किये जा चुके हैं।

7.9 महिला समूहों द्वारा उत्पादित उत्पादों में गुणवत्ता नियंत्रित करना आवश्यक है। खाद्य पदार्थों के लिए एकमार्क तथा एफ. पी. ओ. प्रमाण-पत्र भी प्राप्त करने की कार्यवाही की जाय क्योंकि प्रमाणीकरण के अभाव में खाद्य पदार्थों की विक्री अनियमित है।

7.10 जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों में पंजीकृत एवं स्वयंसेवी संस्थाओं (एन.जी.ओ.) का भी सक्रिय सहयोग विपणन व्यवस्था हेतु प्राप्त किया जाय। संस्थाओं की सेवाएं उत्पादन पूरक प्रशिक्षण, फार्वर्ड तथा वैकवर्ड लिंकेजेज तथा अंवस्थापना सुविधाएं प्राप्त करने में भी ली जा सकती हैं।

7.11 उत्पादों की आकर्पक पैकेजिंग तथा सामान्य व्राण्ड, नाम वैकेट का भार तथा विक्रय मूल्य पैकेट पर छपा होना आवश्यक है।

7.12 विकास खण्ड स्तर, जिला स्तर व राज्य स्तर तथा केन्द्र स्तर पर जनपदों द्वारा समूहों में निर्मित सामानों की विक्री हेतु प्रदर्शनी में भाग लेना आवश्यक होगा।

8.0 निष्क्रीय समूहों को सक्रिय वनाने की रणनीति :

ड्वाकरा योजनान्तर्गत वच्चों की देखभाल सम्वन्धी क्रियाकलाप तथा सूचना, शिक्षा एवं संचार (आई.इ.सी.) के कार्यान्वयन हेतु कार्यकारी निर्देश।

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार के पत्र संख्या---आर---22012/2/95-आई.आर.डी.---4 दिनांक 22 अगस्त, 1995 की प्रति संलग्न करते हुए मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि ड्वाकरा योजनान्तर्गत वच्चों की देखभाल सम्वन्धी क्रियासलाप (चांइल्ड केय एक्टिविटीज) तथा सूचना, शिक्षा एवं संचार (आई.ई.सी.) योजना भारत सरकार द्वारा वर्ष 1995-96 से क्रियान्वित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। असंगठित क्षेत्रों में कार्य करने वाली ग्रामीण क्षेत्र की समस्त महिलाओं, जिनकी संख्या वहुत अधिक है, के वच्चों की दिन की देखभाल की व्यवस्था काफी महत्वपूर्ण व आवश्यक है। रोजगार में लगी महिलाओं के वच्चों की देखभाल की आवश्यकता को पूरा करने एवं प्रत्येक व्यक्ति से जोड़ने हेतु ड्वाकरा योजनान्तर्गत वच्चों की देखभाल सम्वन्धी क्रियाकलापों के संचालन के लिए अलग से धन की व्यवस्था किये जाने का निर्णय लिया गया है।

इस योजना के अन्तर्गत कार्यरत ड्वाकरा समूह की महिलाओं के वच्चों के क्रेश सेवा प्रदान की जायेगी एवं असाक्षरता को समाप्त करने हेतु ड्वाकरा कार्यक्रम से सम्वद्व महिलाओं तथा स्कूल न जाने वाली लड़कियों को शिक्षत करने हेतु साक्षरता केन्द्रों की व्यवस्था की जायेगी। साथ ही योजनाओं के अन्तर्गत ड्वाकरा कार्यक्रम में संलग्न महिला सदस्याओं के वच्चों के प्रतिरक्षण (इक्यूनाइजेशन) एवं पौष्टिक आहार इत्यादि की व्यवस्था की जायेगी। शिशु महिला तथा शिशु पुरुप की देखरेख में व्याप्त असमानता को समाप्त करने की दिशा में प्रभावी कार्यवाही हेतु महिला शिशुओं पर विशेप रूप से ध्यान देते हुए उनकी अधिक देखभाल की जायेगी ताकि शिशु पुरुष एवं महिला के पालन पोषण के अन्तर्गत भेदभाव को समाप्त किया जा सके। इस योजना के अन्तर्गत ही ड्वाकरा कार्यक्रम से सम्वद्ध महिलाओं के विकलांग वच्चों को सहायता उपलव्ध करायी जायेगी एवं वालिकाओं के साथ वलात्कार/दुर्व्यवहार होने की दशा में वालिकाओं को तत्काल आर्थिक सहायता एवं न्याय सुलभ कराने हेतु सहायता प्रदान की जायेगी।

इस कार्यक्रम की जनपद स्तर पर समीक्षा अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी (महिला) द्वारा मुख्य विकास अधिकारी के नियंत्रण में की जायेगी। प्रत्येक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण को रु० 1.50 लाख आवंटित होगा जो केन्द्र व राज्य द्वारा 2:1 के अनुपात में उपलव्ध कराया जायेगा। जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, प्रत्येक ड्वाकरा समूह जिसने अभिसारित गतिविधियाँ प्रारम्भ कर दी हैं एवं धनार्जन प्रारम्भ कर दिया है, को राशि आवंटित कर सकता है। समूह को वच्चों के पालन-पोषण/देखरेख की गतिविधियों के लिए धनराशि आवश्यकतानुसार स्वीकृत की जायेगी। यह मात्र एक वार का अनुदान है तथा यह रु० 1500/- प्रति समूह से अधिक नहीं होना चाहिए। प्रत्येक ड्वाकरा समूह को अनुदान दिया जाना आवश्यक नहीं होगा। आवर्ती व्यय के लिए कुछ धनराशि रिवालविंग फण्ड से दी जा सकती है। इस मद में स्वीकृत की गयी धनराशी का अन्य मदों में व्यय अनुमन्य नहीं होगा।

वच्चों की देखभाल की कार्यवाही के अन्तर्गत छः वर्प से कम आयु के वच्चे होंगे। प्रत्येक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा वच्चों की देखभाल की गतिविधियों के लिए आय व्यय का विवरण का अलग रख-रखाव किया जायेगा।

इस योजना के अन्तर्गत चलाये जा रहे कार्यक्रमों को वर्तमान में चलाये जा रहे अन्य कार्यक्रमों जैसे महिलाओं एवं वाल विकास विभाग द्वारा कार्यान्वित आई.सी.डी.एस. एवं केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित अन्य कार्यक्रमों से सम्वद्ध किया जाय।

प्रत्येक जनपद में कम से कम 10 क्रेश खोले जायेंगे। उनमें सक्रिय 10 समूहों में ड्वाकरा महिला समूहों की महिलाओं के छः वर्ष तक के वच्चे रहेंगे। क्रेश का समय प्रातः 10.00 वजे से सायं 4.00 वजे तक का होगा। क्रेश में गाँव की महिला जो पढ़ी लिखी हो वच्चों की देख-भाल के लिए रु० 400/- प्रतिमाह पर रखी जायेगी। क्रेश गाँव में ही किराये का भवन लेकर खोला जायेगा। भवन का किराया अधिकतम रु० 200/- प्रतिमाह होना चाहिए। वच्चों के खेलकूद खिलौने इत्यादि के क्रय करने पर अधिकतम रु० 500/- प्रतिमाह व्यय किया जायेगा। क्रेश में रहने वाले वच्चों को पौष्टिक आहार के रूप में खिचड़ी अथवा दैलिया आई.सी.डी.एस. विभाग से उपलव्ध करवाया जाय। इसी भवन में ड्वाकरा महिलाओं को साक्षर वनाने हेतु सायं 4 से 6 तक साक्षरता कार्यक्रम /प्रौढ़ शिक्षा विभाग के सहयोग से चलाया जायेगा। साक्षरता कार्यक्रम के अन्तर्गत ड्वाकरा कार्यक्रम की एक पढ़ी लिखी महिला ग्रामीण महिलाओं को पढ़ायेगी। उक्त चयनित महिला को 200/- रु० प्रतिमाह मानदेय दिया जायेगा।

ड्वाकरा समूह की महिलाओं के यदि कोई विकलांग वच्चे हों तो विकलांग वच्चों को कृत्रिम अवयव उपलव्ध कराने हेतु 500/- रुपये की आर्थिक सहायता उपलव्ध करायी जायेगी। ड्वाकरा समूह की महिला की वालिका का यदि शोषण होता है तो उसे विधिक सहायता के रूप में वर्ष में कुल रु० 1,000/- तक उपलव्ध कराया जायेगा।

उक्त योजनान्तर्गत उपलव्ध समस्त धनराशि परियोजना निदेशक, सहायक परियोजना अधिकारी (महिला) जिला ग्राम्य विकास अभिकरण की देखरेख में होगी। मुख्य विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक के नियन्त्रण में कार्यक्रम का अनुश्रवण करेंगे एवं निर्धारित रूप पत्र पर त्रैमासिक प्रगति आख्या निदेशालय/शासन को उपलव्ध करायेंगे। योजनान्तर्गत जिलेवार सम्पादिक कार्यक्रमों को त्रैमासिक आधार पर अनुश्रवण किया जायेगा। जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा संलग्न प्रारूप में प्रगति रिपोर्ट आयुक्त, ग्राम्य विकास को भेजी जायेगी। आयुक्त, ग्राम्य विकास विभिन्न जनपदों से प्राप्त प्रगति रिपोर्ट को संकलित कर भारत सरकार को उपलव्ध कराने हेतु शासन को समाप्त होने वाले त्रैमास की 25 तारीख को उपलव्ध करायेंगे।

सूचना, शिक्षा एवं संचार (आई.ई.सी.)

मुझे आपसे यह भी कहने का निर्देश हुआ है कि ग्रामीण महिलाओं विशेपतः जो कि गरीव हैं एवं गरीवी की रेखा से नीचे हैं, का विकास काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मिलकर देश की करीव आधी जनसंख्या वनती हैं। विभिन विकासोन्मुख कार्यक्रमों विशेपतः ड्वाकरा के प्रति जागरूकता का अभाव, विकास कार्य के क्रियान्वयन में कठिनाई उत्पन्न करता है। अतः ड्वाकरा योजनान्तर्गत वर्ष 1995-96 के दौरान सूचना शिक्षा एवं संचार (आई.ई.सी.) का अभियान प्रारम्भ करने की योजना वनायी गयी है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को सामन्यतया ड्वाकरा एवं विशेप थ्रिप्ट एण्ड क्रेडिट के सम्वन्ध में शिक्षित करना है। यह पारम्परिक सम्पर्क, आडियों विजुअल माध्यम एवं छपे हुए साहित्य के माध्यम से किया जायेगा।

ड्वाकरा योजनान्तर्गत सूचना, शिक्षा एवं संचार (आई.ई.सी.) का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं विशेषतः गरीवी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली ग्रामीण महिलाओं में निम्न कार्यक्रमों के संवंध में जागरूकता पैदा करना है।

अ — विभिन्न विकास संवंधी कार्यक्रम जो उनकी प्रगति तथा कल्याण के लिए चलाये जा रहे हैं।

व — ड्वाकरा समूहों को और अधिक स्वावलम्वी वनाने हेतु थ्रिप्ट एण्ड क्रेडिट गतिविधियां के प्रति जागरूकता पैदा कर महिलाओं में वचत की भावना पैदा करना।

स — ड्वाकरा कार्य देखने वाले कर्मियों/कार्यकर्त्ताओं एवं समूहों के सदस्यों को थ्रिप्ट एण्ड क्रेडिट पर प्रशिक्षण एवं दिशा निर्देश दिया जाना।

गरीवी की रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाली महिला विशेपकर ड्वाकरा समूह की महिलायें लक्ष्य समूह होंगी। जिले में कार्यक्रम का समन्वय समीक्षा, पर्यवेक्षण व अनुश्रवण मुख्य विकास अधिकारी के नियंत्रण में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण में परियोजना निदेशक करेंगे।

योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण को रु० 1.50 लाख आवंटित किया जायेगा जो केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा क्रमशः 2:1 के अनुपात में होगा। प्रत्येक समूहों को जनपद में चल रही समस्त ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की जानकारी एक दिवसीय वैठक में दी जायेगी। इसके लिए जनपद में किसी शैक्षिक संस्था का चयन किया जा सकता है जो प्रत्येक समूह में जाकर विकास कार्यक्रमों के संवंध में जानकारी देने हेतु वैठक करायेंगे। इसलिए प्रति समूह 200/- रुपये उपलब्ध कराया जायेगा।

थ्रिप्ट एण्ड क्रेडिट कार्यक्रम से प्रति समूह को प्रशिक्षण हेतु एक दिवसीय प्रशिक्षण कराया जायेगा। इस कार्य के लिए भी 200 प्रति समूह उपलब्ध कराया जायेगा। इस प्रकार सभी योजनाओं के संवंध में एक निर्देश पुस्तिका जो समूह की महिलाओं के योग्य हो एवं विकास संवंधी चल रही कार्यक्रमों की जानकारी देने के लिए पर्याप्त हो, परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा उक्त कार्यक्रम में उपलब्ध धनराशि में से वनवाकर समूह की सदस्याओं में उपलब्ध करायी जायेगी।

सूचना, शिक्षा एवं संचार (आई.ई.सी.) मद में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा प्राप्त धनराशि के आय-व्ययक लेखों का अलग रख-रखाव किया जायेगा। इस धनराशि को अन्य किसी मद में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। इस योजना के अन्तर्गत सम्पादित कार्यक्रमों का त्रैमासिक आधार पर अनुश्रवण किया जायेगा। जिला ग्राम्य विकास अभिकरण संलग्न प्रारूप में प्रगति आख्या आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग को उपलब्ध करायेंगे। आयुक्त ग्राम्य विकास द्वारा सूचना संकलित कर भारत सरकार को भेजने हेतु शासन को समाप्त होने वाली त्रैमास की 25 तारीख तक उपलब्ध करा दी जायेगी।

आपसे अनुरोध है कि ड्वाकरा योजना के अन्तर्गत चलाये जा रहे उक्त कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के संवंध में तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा संलग्न प्रारूप पर त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से आयुक्त ग्राम्य विकास/शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।